संख्या-113 /2018/1435/30-3-18-42एम/2014

प्रेषक,

वैभव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 22 मई, 2018**

विषय - उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में "उच्चस्तरीय समिति" के सचिवालय के रूप में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में "सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ" के गठन हेतु अस्थायी रूप से सृजित किये गये पदों की निरंतरता जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-99स0सु0/2018-43स0सु0/2015, दिनॉक 22-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-19/187/30-3-15-42एम/2014, दिनॉक 27-02-2015 द्वारा सृजित पदों की निरन्तरता दिनॉक 28-02-2019 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-19/187/30-3-15-42एम/2014, दिनॉक 27-02-2015 द्वारा उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में "उच्चस्तरीय समिति" के सचिवालय के रूप में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में "सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ" के गठन हेतु निम्नलिखित 04 अस्थायी पदों को दिनांक 28-02-2015 तक की अवधि के लिये सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	विशेष कार्याधिकारी	03 (तीन)	सेवा स्थानान्तरण द्वारा	वेतन बैण्ड-3-15600-39100 ग्रेड वेतन 6600
2	लेखाकार	01 (एक)	सेवा स्थानान्तरण द्वारा	वेतन बैण्ड-2-9300-34800 ग्रेड वेतन 4200

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित 08 अस्थायी पदों को दिनॉक 28.02.2015 तक की अवधि के लिये, सृजन इस शर्त के अधीन किया गया है कि इन पदों पर नियमानुसार सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन एवं उससे अनुबंध करके आउटसोर्स के माध्यम से सेवायें प्राप्त की जायेंगी :-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	भर्ती का स्रोत
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	02 (दो)	आउटसोर्सिंग द्वारा
2	लिपिक	04 (चार)	आउटसोर्सिंग द्वारा
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02 (दो)	आउटसोर्सिंग द्वारा
योग - 08 (आठ)			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- शासनादेश दिनांक 27-02-2015 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-29/576/30-3-15-42एम/2014, दिनॉक 17-03-2015 द्वारा उक्त अस्थायी पदों की निरंतरता दिनॉक 01-03-2015 से 29-02-2016 तक तथा शासनादेश संख्या-41/2016/1460/30-3-16-42एम/2014, दिनॉक 07-06-2016 द्वारा उक्त अस्थायी पदों की निरंतरता दिनॉक 01-03-2016 से 28-02-2017 तक बढ़ायी गयी है। तत्क्रम में संख्या-1/2018/5331/30-3-17-42एम/2014, दिनॉक 10-01-2018 द्वारा उक्त अस्थायी पदों की निरंतरता दिनॉक 01-03-2017 से 28-02-2018 तक बढ़ायी गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 27-02-2015 में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन प्रस्तर-2 में उल्लिखित अस्थायी पदों की निरंतरता दिनॉक 01-03-2018 से 28-02-2019 तक, यदि इससे पूर्व ही इन्हें बिना नोटिस के समाप्त न कर दिया जाये, बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5- सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त 03 विशेष कार्याधिकारी (वेतन बैण्ड-3-15600-39100 ग्रेड वेतन 6600) तथा 01 लेखाकार (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 ग्रेड वेतन 4200) को शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014, नियम-9 के खण्ड-(ग) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में उक्त नियमावली के नियम-4(3) में उल्लिखित "लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय" से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
ह0/-
(वैभव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-113/2018/1435(1)/30-3-2018, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
3- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-9
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0, सचिवालय, लखनऊ।
6- कार्मिक अनुभाग-1
7- कार्मिक नियमावली सेल।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in